फतेह सिंह **बनाम** हरपाल सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 77 सन 2021
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/153
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए चक चक 1 एक्स की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 106/93 के मुरब्बा नम्बर 85, खाता संख्या 107/94 के मुरब्बा नम्बर 71, 86, 102, 117/96, 117/100, 117/137, खाता संख्या 108/95 के मुरब्बा नम्बर 72, 84, 102, 117/141, खाता संख्या 179/88 के मुरब्बा नम्बर 16, खाता संख्या 180/89 के मुरब्बा नम्बर 71 में अप्रार्थी संख्या 2 देवेन्द्र सिंह पुत्र लाल सिंह के नाम दर्ज भूमि में से प्रार्थी के हक हिस्से 1.468 हैक्टर भूमि की राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश दिए जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज उक्त भूमि संयुक्त हिन्दू खानदान की भूमि होने, अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब की संयुक्त आय से अर्जित भूमि होने अथवा इस प्रकार से यह भुमि जद्दी जायदाद होने के कथन सरासर गलत होने से स्वीकार नहीं है। पूर्वोक्त वर्णित समस्त खातों की भूमि पूर्वजों से प्राप्त होने, उक्त भूमि परदादा लाल सिंह के नाम दर्ज होने के कथन सरासर गलत है, जो स्वीकार नहीं है। वादी/प्रार्थी वादगत भूमि में से 1.469 हैक्टेयर भूमि का क्लेम कर पाने का अधिकारी नहीं है। लिहाजा हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना प्रतीत होते है। अतः प्रार्थी/वादी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर अस्थायी व्यादेश बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पारित किया जाता है कि वे चक 1 एक्स की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 106/93 के मुरब्बा नम्बर 85, खाता संख्या 107/94 के मुरब्बा नम्बर 71, 86, 102, 117/96, 117/100, 117/137, खाता संख्या 108/95 के मुरब्बा नम्बर 72, 84, 102, 117/141, खाता संख्या 179/88 के मुरब्बा नम्बर 16, खाता संख्या 180/89 के मुरब्बा नम्बर 71 में अप्रार्थी संख्या 2 देवेन्द्र सिंह पुत्र लाल सिंह के नाम दर्ज भूमि में से प्रार्थी के हक हिस्से 1.468 हैक्टेयर भूमि ताफैसला वाद प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करे व मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर